न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1539/2005/भरतपुर

1– रामनिवास पुत्र नाहर सिंह
2– विशम्भर सिंह पुत्र जलसिंह
समस्त जाति जाट निवासी करीली तहसील नदवई जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– तारासिंह पुत्र रामजीत
2– रामजीत पुत्र शोभाराम
समस्त जाति जाट निवासी करीली तहसील नदवई जिला भरतपुर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदवई जिला भरतपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री मोडू दान देथा, सदस्य
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवकता अपीलांट।
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 02–7–2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 121/1999 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई जिला भरतपुर के न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या–1 तारासिंह द्वारा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 व 53 के तहत् वाद

पत्र में अंकित आराजी के बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल 9 तनकीयात कायम की गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01–10–1999 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांके 05–03–2005 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी। प्रत्यर्थी बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पैतृक सम्पति है। प्रत्यर्थी के पिता रामजीत ने विवादित आराजी के साथ साथ अन्य खसरा नम्बरान दिनांक 21–6–1980 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रूपनसिंह, रामस्नेही व रामनिवास को बेचान कर दी। जबकि उनको बेचान करने का अधिकार नहीं था इसलिए उक्त बयनामे को निरस्त कराने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जो दिनांक 09–6–1981 को डिक्री किया गया है। उसके बाद पुनः वही खसरा नंबर 640 को रामजीत जो अपीलार्थी का पिता है उसने प्रत्यर्थी को बेचान कर दिया। बेचाननामे के आधार पर प्रत्यर्थी ने दावा प्रस्तुत कर एकतरफा में अपीलार्थी के विरूद्ध डिक्री प्राप्त कर दी, जो नियम विरूद्ध है, जब पूर्व में रामजीत को सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 09–6–1980 को निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया था तो उसे आराजी पुनः बेचान करने का अधिकार नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री

निरस्त किये जाकर सहायक कलक्टर, नदवई के निर्णय में जो तनकी संख्या 1,3,6,7,8,9 और 10 के बाबत् जो निर्णय पारित किया गया है, उसे निरस्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5– हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– अपील में निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या न्यायालय द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा के बाद प्रतिवादी संख्या 1 रामजीत को बेचाननामा करवाने का अधिकार था तथा यदि रामजीत द्वारा बयनामा करवा दिया गया है तो कानून की नज़र में उक्त बयनामे का क्या महत्व है।

7– हमारे विनम्र मतानुसार जब न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी थी और उक्त स्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहते हुए रामजीत को भूमि विक्रय करने का कानूनी अधिकार नहीं था। यदि रामजीत ने बिना कानूनी अधिकार के कोई विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया है तो कानून की नज़र में उस बयनामे का कोई महत्व नहीं है और क्रेतागण को उस बयनामे के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते हैं कि विक्रेता द्वारा न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रभाव में होने के दौरान विवादित आराजी का बेचान किया गया है जिससे क्रेता को कानूनन कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हम बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10– परिणामस्वरूप हस्तगत अपील एतद्द्वारा सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
सदस्य

(मोडू दान देथा)
सदस्य